राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 22/2018

श्रीमती दीपू कुमावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।

2. डीईओ सह अतिरिक्त सीईओ (प्राथमिक शिक्षा), जिला परिषद, राजसमंद।

3. बीईईओ, राजसमंद।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.01.2018

आदेश की दिनांक : 30.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा/श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद का वेतनमान का लाभ जिस तिथी से अपीलार्थी ने बीएसटीसी की योग्यता उत्तीर्ण की है, उसी तिथी से नियमित मानते हुए वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी विधवा कोटे से अध्यापक (अप्रशिक्षित) के पद पर आदेश दिनांक 02.05.2008 के द्वारा नियुक्ति हुई थी, जिसमें अपीलार्थी को 2 वर्ष में बीएसटीसी उत्तीर्ण करना उल्लेखित किया गया था और अपीलार्थी ने दिनांक 24.01.2012 को बीएसटीसी की योग्यता उत्तीर्ण की

तथा उक्त योग्यता उत्तीर्ण उपरांत अपीलार्थी नियमित वेतन आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमित वेतन का लाभ लगभग डेढ़ वर्ष बाद प्रदान किया गया, जो नियमों के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी के समान कार्मिक सुनीता खटीक जिनको बीएसटीसी योग्यता उत्तीर्ण वर्ष से ही नियमित करते हुए नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। परंतु अपीलार्थी को उक्त योग्यता उत्तीर्ण होने के डेढ़ वर्ष बाद नियमित वेतनमान का लाभ आदि प्रदान किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद का वेतनमान का लाभ जिस तिथी से अपीलार्थी ने बीएसटीसी की योग्यता उत्तीर्ण की है, उसी तिथी से नियमित मानते हुए वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 24.01.2012 को बीएसटीसी योग्यता उत्तीर्ण की है और आदेश दिनांक 23.07.2013 के द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया और आदेश दिनांक 05.08.2015 के द्वारा दिनांक 01.08.2015 से नियमित किया गया तथा नियमित नियुक्ति दिनांक से ही अपीलार्थी को सेवा संबंधित समस्त लाभ प्रदान किए गए हैं। अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 01.08.2015 से नियमित की गई और नियमित दिनांक से ही अपीलार्थी नियमित सेवा का लाभ वेतन आदि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी विधवा कोटे से अध्यापक (अप्रशिक्षित) के पद पर आदेश दिनांक 02.05.2008 के द्वारा नियुक्ति हुई थी, जिसमें अपीलार्थी को 2 वर्ष में बीएसटीसी योग्यता उत्तीर्ण करना आवश्यक था। अपीलार्थी ने दिनांक 24.01.2012 को बीएसटीसी की योग्यता उत्तीर्ण की तथा उक्त योग्यता उत्तीर्ण उपरांत अपीलार्थी नियमित वेतन आदि का लाभ प्रदान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिक सुनीता खटीक जिनकों बीएसटीसी परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक से स्थायीकरण करते हुए नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया,

परंतु अपीलार्थी को बीएसटीसी योग्यता उत्तीर्ण तिथी से नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने दिनांक 12.05.2012 को बीएसटीसी की योग्यता उत्तीर्ण की और आदेश दिनांक 05.08.2015 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.08.2015 से स्थायीकरण किया गया। जबकि आदेश दिनांक 25.07.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्मिक सुनीता खटीक को जिनकों प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एसटीसी परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 12.05.2012 से ही स्थायीकरण किया गया है। जबकि अपीलार्थी को लगभग 2–3 वर्ष बाद स्थायीकरण किया गया, जो नियमों के अनुसार एवं विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी भी हमारे मत में बीएसटीसी योग्यता उत्तीर्ण दिनांक से ही नियमित वेतनमान आदि का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिस प्रकार कार्मिक सुनीता खटीक को बीएसटीसी योग्यता उत्तीर्ण दिनांक से स्थायीकरण करते हुए नियमित वेतन आदि का लाभ प्रदान किया गया है, उसी प्रकार जिस तिथी से अपीलार्थी ने बीएसटीसी की योग्यता उत्तीर्ण की है, उसी तिथी से अपीलार्थी की सेवाओं का स्थायीकरण करते हुए नियमित वेतनमान आदि का लाभ प्रदान किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य